न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा जिला राजसमन्द

(पीठासीन अधिकारी – शक्तिसिंह भाटी, आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 146/2013
दायर दिनांक – 05/04/2013
निर्णय दिनांक – 21/05/2018

अनवान

1. गणेशलाल पिता अखेराम जाति बडवा राव निवासी–खण्डेल तह0– रेलमगरा
2. रामचन्द्र पिता अखेराम जाति बडवा राव निवासी–खण्डेल तह0– रेलमगरा

वादीगण

बनाम

1. छगनलाल पिता हमेराजी जाति बडवा राव निवासी खण्डेल हाल– ग्राम नांदवेल डबोक एयरपोर्ट पिछे, तहसील – वल्लभनगर जिला उदयपुर
2. जगदीश पिता हमेराजी जाति बडवा राव निवासी खण्डेल हाल– ग्राम नांदवेल डबोक एयरपोर्ट पिछे, तहसील – वल्लभनगर जिला उदयपुर
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार महोदय, रेलमगरा

प्रतिवादीगण

वाद बाबत घोषणा एवं इन्द्राज दुरूस्ती

: : निर्णय : :

वादीगण ने जरिये अधिवक्ता वाद बाबत् घोषणा एवं इन्द्राज दुरूस्ती के प्रस्तुत किया कि ग्राम खण्डेल तहसील रेलमगरा से साबिक आराजी संख्या 404/2 रकबा 08–08 बीघा भूमि वादीगण की माता सरसी बेवा अखेराम राव निवासी– खण्डेल को जरिये मिसल नम्बर 36/61 से आवंटित की गई जिसका नामान्तरण संख्या 160 दिनांक 3.8.1962 को निर्णित हुआ तथा राजस्व रेकार्ड सवंत 2025 से 2028 की जमाबन्दी में वादीगण की माता सरसी बेवा अखेराम जी राव का नाम गैरखातेदार के रूप में अंकित किया गया। सेटलमेन्ट के दौरान सेटलमेन्ट अधिकारी द्वारा वादीगण की आराजी संख्या 404/2 रकबा 08–08 बीघा भूमि के नये वर्तमान आराजी नम्बर 1297 बनाते हुये रकबा 06–05 बीघा बना दिया जबकि वर्तमान भु माप के अनुसार 11–04 बीघा भूमि बनानी चाहिए थी साबिक आराजी का रकबा वर्तमान आराजीं में बढाने की बजाय और घटा दिया गया प्रमाण में सेटलमेन्ट का खसरा मिलान पेश है। वादीगण की माता साबिक आराजी संख्या 404/2 रकबा 08–08 बीघा का उपयोग उपभोग आंवटन समय से कर रही है तथा सेटलमेन्ट पश्चात भी बढे हुए रकबे 11–04 बीघा पर उपयोग उपभोग कर रही है तथा वादीगण की माता की मृत्यु के पश्चात वादीगण ही उक्त आराजी के सम्पूर्ण रकबे पर उपयोग–उपभोग कर

21/5
सहायक कलेक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

रहे है परन्तु सेटलमेन्ट के दौरान राजस्व रेकार्ड में वादीगण के रकबे का माप बढाने की जगह और घटा किया गया तथा प्रतिवादी संख्या 01, 02 के पिता हमेरा जी पुत्र देवजी बडवा के आरजी संख्या 406/6 रकबा 05–04 बीघा भूमि का आवटन हुआ था तथा उक्त आराजी में राजस्व रेकार्ड में गैरखातेदारी दर्ज किये जाने हेतू नामान्तरणकरण संख्या 267 दिनांक 31.05.1963 को निर्णित हुआ था जबकि सेटलमेन्ट के दौरान सेटलमेन्ट अधिकारी ने साबिक आराजी संख्या 404 से प्रतिवादी संख्या 01, 02 के पिता की भूमि अंकित करते हुए नवीन आराजी 1300 रकबा 06–07 बीघा भूमि बना दी गई जिससे आराजी संख्या 404 से वादीगण की भूमि का रकबा कम हो गया तथा नक्शे में भी वादीगण की भूमि प्रतिवादी सं 01, 02 की भूमि मे अंकित कर दी गई है जिसको दुरूस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। हमेरा की मृत्यु हो चुकी है तथा उसके विधिक वारीसान प्रतिवादी संख्या 01, 02 है। सैटलमेन्ट अधिकारी द्वारा सेटलमेन्ट में की गई त्रुटि के कारण वादीगण की भूमि राजस्व रेकार्ड में कम अंकित हो गई है जबकि मौके पर वादीगण अपने पूर्व रकबा 11–04 बीघा भूमि पर काबिज है। राजस्व रेकार्ड में वादीगण घोषणात्मक डिक्री के जरिये रकबा 06–05 बीघा भूमि के बजाय रकबा 11–04 बीघा भूमि अपने नाम पर कराये जाने के अधिकारी है तथा त्रुटिपूर्ण इन्द्राज को दुरूस्तीकरण हेतू उक्त वाद घोषणा एवं इन्द्राज दुरूस्ती का आप न्यायालय में प्रस्तुत है। वादीगण अपनी माता के जीवनकाल के समय से ही साबिक आराजी के रकबा अनुसार उपयोग–उपभोग करते चले आ रहे है तथा वादीगण राजस्व रेकार्ड में अपने नाम पर 11–04 बीघा भूमि होना जानते रहे परन्तु वादीगण ने ऋण प्राप्त करने हेतू जमाबन्दी की नकल प्राप्त की तो उक्त रकबा राजस्व रेकार्ड में कम होना जाहिर आया जिससे वादीगण का वाद हेतूक दिनांक 10.10.2012 को बमुकाम खण्डेल में उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है। उक्त वाद घोषणा एवं इन्द्राज दुरूस्ती का होने से राज्य सरकार आवश्यक पक्षकार होने से पक्षकार बनाया गया है। अतः प्रार्थना है कि वादीगण का वाद प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्वीकार फरमाय जाकर आरजी संख्या 1297 का रकबा 06–05 बीघा के बजाय 11–04 बीघा भूमि राजस्व रेकार्ड मे वादीगण के नाम अंकित कराने की घोषणात्मक डिक्री पारित की जावे तथा उसी अनुसार राजस्व रेकार्ड के इन्द्राज को दुरुस्त कराया जावे।

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 व 02 बावजूद सूचना तामिल के अनुपस्थित रहने से प्रकरण में एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गय। प्रतिवादी संख्या 03 पैरोकार सरकार ने अपना जवाब प्रस्तु किया कि पद संख्या 01 – वादी के आराजी आवंटन संबधी है वादी स्वय सिंद्ध करे। पद संख्या 02 वादी स्वयं सिद्ध करे। पद संख्या 03 अस्वीकार है वादपत्र में यह स्पष्ट नही किया गया कि प्रतिवादी के द्वारा भू प्रबन्ध पूर्व घटित भूमि का रकबा कितना था एवं कितना बेशी किया। पद संख्या 04 वादी स्वयं सिद्ध करे। पद संख्या 05 वादी स्वयं सिद्ध करे। पद संख्या (6 से 8,9) – वादपत्र का औपचारिक भाग है जवाब अपेक्षित नही है।

सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

वाद पत्र एवं प्रस्तुत जवाब दावे के अनुसार निम्न तनकियात विरचित की गयी :-

1. आया ग्राम खण्डेल की साबिक आराजी संख्या 404/2 रकबा 08-08 बीघा भूमि वादीगण की माता सरसी बेवा अखेराम राव को आवंटित हुई थी जिसकी नवीन आराजी संख्या 1297 बनी जिसका सेटलमेन्ट विभाग द्वारा रकबा 06-05 बीघा बना दिया जबकि वर्तमान भू माप के अनुसार 11-04 बीघा बनता है। जिससे गलत इन्द्राज को दुरूस्त कर आराजी संख्या 1297 का रकबा 11-04 बीघा भूमि वादीगण अपने नाम घोषित करवाने के अधिकारी है। जिम्में वादीगण

वादीगण ने अपने वाद पत्र के समर्थन में गवाह पीडब्ल्यू-01 रामचन्द्र, गवाह पीडब्ल्यू-02 हुक्मीचन्द, गवाह पीडब्ल्यू-03 सोहनलाल के शपथ पत्र प्रस्तुत किये तथा दस्तावेजी साक्ष्य सेटलमेन्ट खसरा मिलान की प्रति प्रदर्श-01, वादी की आराजी वर्तमान जमाबन्दी प्रदर्श-02, प्रतिवादी की आराजी की वर्तमान जमाबन्दी प्रदर्श-03, जमाबन्दी संवत् 2025-28 प्रदर्श-04, नामान्तरकरण की प्रति प्रदर्श-05, नक्शा ट्रेस प्रदर्श-06, व 07 नामान्तरकरण की प्रति प्रदर्श-08 के पेश की गई।

पत्रावली बहस में नियत थी कि प्रकरण को राज्य सरकार द्वारा आयोजित राजस्व लोक अदालत अभियान : न्याय आपके द्वार-2018 के तहत ग्राम पंचायत लापस्या पर आयोजित शिविर में रखा गया। दौराने शिविर वादी गणेशलाल एवं प्रतिवादी संख्या 03 पैरोकार सरकार उपस्थित हुए।

वादी गणेशलाल एवं पैरोकार सरकार को सुना गया एवं पत्रावली एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में तनकीवार निर्णय निम्नानुसार है :-

1. तनकी संख्या 01 जिम्में वादीगण होकर उक्त तनकी के समर्थन में वादीगण ने अपने वाद पत्र के समर्थन में गवाह पीडब्ल्यू-01 रामचन्द्र, गवाह पीडब्ल्यू-02 हुक्मीचन्द, गवाह पीडब्ल्यू-03 सोहनलाल के शपथ पत्र प्रस्तुत किये तथा दस्तावेजी साक्ष्य सेटलमेन्ट खसरा मिलान की प्रति प्रदर्श-01, वादी की आराजी वर्तमान जमाबन्दी प्रदर्श-02, प्रतिवादी की आराजी की वर्तमान जमाबन्दी प्रदर्श-03, जमाबन्दी संवत् 2025-28 प्रदर्श-04, नामान्तरकरण की प्रति प्रदर्श-05, नक्शा ट्रेस प्रदर्श-06, व 07 नामान्तरकरण की प्रति प्रदर्श-08 के पेश की गई। पत्रावली का अवलोकन करने से ग्राम खण्डेल के साबिक आराजी संख्या 404/2 रकबा 08-08 बीघा भूमि वादीगण की माता सरसी बेवा अखेराम राव को आवंटन होना प्रतीत होता है। साथ ही प्रतिवादी संख्या 01, 02 के पिता हमेरा जी पुत्र देवजी बडवा के आरजी संख्या 406/6 रकबा 05-04 बीघा भूमि का आवंटन हो नवीन आराजी 1300 रकबा 06-07 बीघा भूमि बना दी गई है तथा गत भू माप का रकबा 05-04 बीघा का नवीन रकबा 132 की जरीब से 06-07 बीघा सही अंकित किया जाना प्रतीत होता है ऐसी स्थिति में वादी दस्तावेजी साक्ष्य से यह सिद्व करने में असफल रहा है कि वादीगण का घटा हुआ

21/

सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी
रेलमगरा

रकबा किस नम्बर में शामिल हुआ है। ऐसी स्थिति में वादीगण द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य से तनकी सिद्व नही किये जाने उक्त तनकी वादीगण के विरूद्व निर्णित की जाती है।

अतः उपरोक्त तनकी के विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद दस्तावेजी साक्ष्य से सिद्व नही किये जाने से अस्वीकार किया जाता है। इसी अनुरूप डिकी पर्चा कायम हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें।

निर्णय आज दिनांक 21/05/2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर कैम्प लापस्या पर सुनाया गया।

(शक्तिसिंह भाटी)
सहायक कलेक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

मूल वाद में डिक्री (आदेश 20 नियम 6 व 7)
न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा जिला राजसमन्द
पीठासीन अधिकारी :– शक्तिसिंह भाटी, आर0ए0एस0
राजस्व वाद संख्या :– 146/13 वाद

वादीपक्ष :–

अनवान

(1) गणेश लाल पिता अखेराम जाति बडबा राव नि. खण्डेल
(2) रामचन्द्र पिता अखेराम बडबा राव नि. खण्डेल त. रेलम

प्रतिवादीपक्ष :–

बनाम

(1) दयाल लाल पिता हमेरा बडबा राव नि. खण्डेल हाल नाद्वे
(2) जगदीश पिता हमेरा बडवा राव नि० खण्डेल हाल नाद्वे
तo वल्लभनगर जि उद
(3) राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रेलमगरा

दावा :– घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा
वादी की ओर से :– जगदीश कुमावत एडवोकेट
प्रतिवादी की ओर से :– पैरोकार सरकार

में इस आशय में दिनांक 31/5/18 को न्यायालय के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है ओर डिक्री दी जाती है कि वादीगण अपने वाद को दस्तावेजी साक्ष्य से सिद्ध करने असफल रहा। लिहाजा वाद वादीगण का अस्वीकार किया जाता है।

आज दिनांक 31/5/2018 को मेरे हस्ताक्षर एवम् न्यायालय कि मोहर से जारी कि गयी।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी * रेलमगरा *

(शक्ति सिंह भाटी) RAS
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा